

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ़  
पीठासीन अधिकारी का नाम :- सुश्री श्वेता कोचर ( आर०ए०एस० )  
मिसल न०- 29./2020  
अनवान :-  
1. बेगराज पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।  
सायल

बनाम्

1. सुलतान पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
2. भादर पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
5. जयचन्द्र पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
6. रामचन्द्र पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
7. रामनिवास पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
8. रामसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
9. श्रीचन्द्र उर्फ श्रीराम पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ़।

—गैरसायलान

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 251-(क) राज०  
काश्तकारी अधिनियम सन् 1955

उपस्थित :- श्री विजयसिंह कडवासरा अभिभाषक, प्रार्थी

निर्णय दिनांक : 25/03/2022

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने प्रशासन गावं के संग अभियान कैम्प मलवानी में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया की रोही मोजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 182/104 के प०न० 372/395(18) किला न० 11/0.2530 ,12/0.2530 ,13/0.2530 हैक कुल 0.7590 हैक भूमि सायल के नाम से दर्ज है।

रोही मोजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 115/154 के प०न० 372/395(18) किला न० 1/1 की 0.0250 हैक गै०मु०खाला किला न० 1/2 की 0.2280 हैक किला न० 2/1 की 0.0250 हैक किला न० 2/2 की 0.2280 हैक व 3/1 की 0.0250 हैक गै०मु०खाला किला न० 3/2 की 0.2280 हैक किला न० 4/1 की 0.0250 हैक गै०मु०खाला व किला न० 4/2 की 0.2280 हैक किला न० 5/1 की 0.0250 हैक गै०मु०खाला किला न० 5/2 की 0.1520 हैक किला न० 10/0.2530 हैक कुल 1.4420 हैक भूमि गैरसायल न० 1 के नाम से दर्ज है।

रोही मोजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 89/82 के प०न० 372/395(18) किला न० 14/0.2530 ,15/0.1710 ,16/0.1770 ,17/0.2530 ,18/0.2530 ,19/0.2530 हैक कुल 1.3660 हैक गैरसायल संख्या 2 के नाम से दर्ज है।

रोही मौजा चक 11 जेएसएन के खाता संख्या 156/23 के प०न० 372/395(18) किला न० 20/0.2530 ,21/0.2530 ,22/0.2530 ,23/0.2530 ,24/0.2530 ,25/0.1770 हैक कुल 1.4420 हैक भूमि गैरसायल न० 4 ता 9 के कब्जा काश्त की भूमि है

रोही मौजा चक 11 जेएसएन के प०न० 372/395(18) किला न० 7/0.2530 ,8/0.2530 ,9/0.2530 ,कुल 0.7590 हैक भूमि गैरसायल न० 3 के नाम से दर्ज है।

सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये सदामत से प०न० 372/395 (18) के किला न० 3/2 ,8 ,13 ,18 ,23 से होकर अपनी खातेदारी भूमि में आवागमन करता आ रहा है यही सबसे सुविधाजनक एव नजदीकी रास्ता है तथा सायल एव गैरसायल की खातेदारी भूमि को आपस में जोड़ता है यही रास्ता सायल एव गैरसायल का उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये सुविधाजनक एवं नजदीकी रास्ता है इसलिये सायल एव

उपखण्डाधिकारी  
नोहर

..1

गैरसायल आपसी सहमति से उक्त रास्ता को स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं

गैरसायल न० 4 ता 9 को गैरसायल न० 2 भादर रास्ता के बदले में मु०न० 18 के किला न० 19 में 2 बिश्वा भूमि देगा इसीप्रकार गैरसायल न० 2 भादर को सायल बेगराज रास्ते के बदले में मु०न० 18 के किला न० 12, 13 के दक्षिण साईड में पूर्व में पश्चिम आधा-आधा बिश्वा भूमि देगा

सायल का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया गैरसायल संख्या 1 ता 9 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आकर सायल के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल रोही मोजा चक 11 जेएसएन के प०न० 372/395 (18) के किला न० 3/2, 8, 13, 18, 23 से होकर सदामत से अपनी अपनी भूमियों में आवगमन करते आ रहे हैं यही रास्ता सायल एवं गैरसायल के लिये सुविधाजनक है इसलिये यह रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाल जबाब भी पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

पैरोकार राज ने निवेदन किया की सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखा जाकर रास्ता स्वीकार किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है।

सायल के अधिवक्ता ने निवेदन किया की सायल के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रतिवादी संख्या 1 ता 9 देने को तैयार है किसी प्रकार का ऐतराज नहीं किया है अतः सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया जाने एवं रास्ते के बदले में भूमि गैरसायल संख्या 1 के नाम दर्ज करने के आदेश फरमावे।


हमने उभयपक्षों को सुना पत्रावली का अवलोकन किया सायल एवं गैरसायल दोनों एक दुसरे की चिपते खातेदार काश्तकार है सायल अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है सायल के कथनों गैरसायलान से स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की सायल को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता स्वीकृत किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है गैरसायल ने निवेदन किया की प्रश्नगत रास्ता सायल एवं गैरसायल को उनकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये उपयोग करते आ रहे हैं सायल एवं गैरसायल उक्त रास्ता स्वीकृत करवाने के लिये सहमत है एवं रास्त में आई भूमि के बदले में भूमि देने के लिये भी तैयार है सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर रास्ता स्वीकार फरमावे।

किसी भी खातेदार काश्तकार को उसकी खातेदारी भूमि में जाने के लिये रास्ता दिया जाना भी न्यायोचित है एवं सायल एवं गैरसायल की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

सायल एवं गैरसायल एक ही परिवार के सदस्य है एवं खातेदार काश्तकार है जो अपने अपने कब्जा काश्त की खातेदारी भूमि में जाने के लिये आपसी सहमति से रास्ता स्वीकृत करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते हैं ताकि भविष्य में किसी प्रकार का विवाद ना हो

अतः सायल एवं गैरसायल 1 ता 9 की आपसी सहमति के आधार पर सायल का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रोही मोजा चक 11 जेएसएन के प०न० 372/395 (18) के किला न० 3/2, 8, 13, 18, 23 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण 1-1 बिश्वा रास्ता प्रत्येक किला में स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में सायल गैरसायल न० 2 भादर को मु०न० 18 किला न० 12, 13 में दक्षिण साईड पूर्व से पश्चिम 4 फुट भूमि देगा इसीप्रकार गैरसायल न० 2 भादर मु०न० 18 के किला न० 19 में 2 बिश्वा भूमि इस किला के पश्चिम तरफ उत्तर दक्षिण रास्ते के बदले गैरसायल संख्या 4 ता 9 को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु तहसीलदार राजस्व नोहर को आदेश जारी किया जाकर शामिल मिसल किया गया व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 16/03/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकाारी (राजस्व)  
नोहर (इन्सानगड)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ  
दिनांक 16/03/2022

क्रमांक : राजस्व/2020/803

तहसीलदार,  
नोहर

विषय :- स्वीकृत रास्ता का राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के सम्बन्ध  
में प्रार्थना-पत्र सं० 29 सन 2020 निर्णय दिनांक :- 16/03/2022

अनवान :-

अनवान :-


1 बेगराज पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।  
सायल

बनाम्

1. सुलतान पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
2. भादर पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
3. मनीराम पुत्र जसुराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
4. कृष्ण कुमार पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
5. जयचन्द पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
6. रामचन्द्र पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
7. रामनिवास पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
8. रामसिंह पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
9. श्रीचन्द उर्फ श्रीराम पुत्र काशीराम जाति जाट साकिन पदमपुरा तहसील नोहर।
10. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

-गैरसायलान

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थना-पत्र स्वीकार कर आदेश दिया गया है कि रोही मोजा चक 11 जेएसएन के प०न० 372/395 (18) के किला न० 3/2 ,8 ,13, 18 ,23 के पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण 1-1 बिस्वा रास्ता प्रत्येक किला में स्वीकृत किया जाता है तथा रास्ते की भूमि के बदले में सायल गैरसायल न० 2 भादर को मु०न० 18 किला न० 12 ,13 में दक्षिण साईड पूर्व से पश्चिम 4 फुट भूमि देगा इसीप्रकार गैरसायल न० 2 भादर मु०न० 18 के किला न० 19 में 2 बिस्वा भूमि इस किला के पश्चिम तरफ उत्तर दक्षिण रास्ते के बदले गैरसायल संख्या 4 ता 9 को देगा इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर पालना रिपोर्ट तुरन्त प्रस्तुत करे।

  
उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )  
नोहर ( हनुमानगढ )